

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून

पत्रांक 675 / विकास कार्य / नि0सू0 / 2025-26

दिनांक 25/02/2025

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्मों/ठेकेदारों से कुल 15 विकास कार्यों को करने हेतु ई-निविदा दिनांक 19.03.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट के माध्यम आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अकिंत विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता,म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक 20.03.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्राधिकरण के अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक उक्त अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य का विस्तृत विवरण/बी0ओ0क्यू0/शर्तें बैबसाईट पर उपलब्ध है। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)ध07-75(सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बेधता 60 दिन मान्य रहेगी।

| क्र | कार्य का नाम | आगणन राशि लाख रू0 में | धरोहर राशि रू0 में | टेन्डर शुल्क रू0 में | समय (माहो में) |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | बनारसी मामचन्द के घर से सिंचाई नहर तक सी0सी0 सडक निर्माण। | 9.11 | 27400.00 | 1180.00 | 02 |
| 2 | ग्राम सभा कारबारी ग्रान्ट के मल्हान में कुँवर सिंह राणा जी के घर से ताराचन्द सेमवाल जी के घर तक सडक निर्माण कार्य। | 4.56 | 13700.00 | 590.00 | 01 |
| 3 | ग्राम सभा कारबारी ग्रान्ट के (रतनपुर) मल्हान आदर्श कालोनी में पंवार जी के घर तक सडक निर्माण कार्य। | 4.55 | 13700.00 | 590.00 | 01 |
| 4 | बडोवाला में विशाल शर्मा के घर से राजेन्द्र मेहता के घर तक सडक निर्माण कार्य। | 6.05 | 18200.00 | 1180.00 | 02 |
| 5 | पटियोवाली चन्द्रबनी मुख्य मार्ग से आशिष सती के घर तक सडक सडक निर्माण। | 9.57 | 28800.00 | 1180.00 | 02 |
| 6 | वार्ड-41 इन्दिरापुरम् के शक्ति विहार एन्कलेव जी0एम0एस0 रोड नाली निर्माण | 6.55 | 19700.00 | 1180.00 | 01 |
| 7 | पत्तियोवाला में श्री संजीव कुमार के घर के पास सडक निर्माण कार्य। | 6.55 | 23700.00 | 1180.00 | 02 |
| 8 | कैन्ट विधान सभा के अन्तर्गत चित्रकूट एन्कलेव में सडक निर्माण कार्य। | 32.79 | 75000.00 | 2950.00 | 04 |
| 9 | द्रोण विहार हरबजवाला कालोनी में सुरक्षा के लिहाज 160 मीटर लम्बी दीवार का निर्माण कार्य। | 10.19 | 30600.00 | 1770 | 02 |
| 10 | वार्ड 89 के अन्तर्गत मेन रोड से शिव मन्दिर, तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स से सडक निर्माण कार्य। | 6.68 | 20100.00 | 1180.00 | 01 |
| 11 | वार्ड 87 पित्तुवाला में राजेश भट्ट जी के घर से मातवर सिंह सजवाण जी के घर एवं प्रार्थमिक विद्यालय के पास इन्टरलॉकिंग टाईल्स से सडक एवं नाली का निर्माण कार्य। | 5.83 | 17500.00 | 1180.00 | 01 |

20/25

| | | | | | |
|----|--|------|----------|---------|----|
| 12 | वार्ड 87 के अर्न्तगत ब्रह्मप्रकाश के घर से एस0बी0एन0 स्कूल तक सडक/के0सी0 नाली का निर्माण कार्य। | 6.90 | 21000.00 | 1180.00 | 01 |
| 13 | मेहूवाला में चन्द्रताल रोड मार्ग से शाहिद के घर तक सडक निर्माण। | 8.38 | 25200.00 | 1180.00 | 02 |
| 14 | हिम ज्योति एन्क्लेव पित्थूवाला देहरादून में इन्टरलॉकिंग टाईलस रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 6.38 | 19200.00 | 1180.00 | 01 |
| 15 | डोईवाला विधान सभा के अर्न्तगत अवस्थापना मद से स्वीकृत 6 कि0मी0 के अर्न्तगत ग्राम सभा रामनगर डांडा में आन्तरिक सडक निर्माण। | 8.85 | 27000.00 | 1180.00 | 02 |

अन्य नियम एवं शर्तें

1. जिन ठेकेदारों/फर्मों को पूर्व से प्राधिकरण कें किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुए हो, वह कार्य अनुबन्ध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
2. एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
3. किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यों में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं धरोहर राशि निविदा मूल्य जब्त कर लिया जायेगा।
4. uktenders.gov.in, एवं mddaonline.in की बैबसाईट व दैनिक समाचार पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
5. निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
 - निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, ₹0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं ₹0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यों/निर्माणाधीन कार्यों अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवंटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में गलत सूचना दिये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
7. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बैबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 की गणना लोक निर्माण विभाग में लागू नियमों के अनुसार होगी।


 अधिशासी अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

६

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, / वित्त नियन्त्रक / मुख्य अभियन्ता म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
- 2-प्राधिकरण / नगर निगम / लोक निर्माण विभाग / जिला परिषद / सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु ।
- 3-नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 4-आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
- 5-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
- 6-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।


अधिशाली अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।